विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-31का उत्तरालेख ।

प्रश्न	**उत्तर**
31-(क) क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0में कृषि उत्पादों का विदेश में निर्यात किया जाता है?	हाँ। उत्तर प्रदेश से कृषि उत्पादों एवं कृषि संबंधित प्रसंस्कृत उत्पादों का विदेशों में निर्यात किया जाता है।
(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 2022-23 में आलू की फसल के समय से अब तक कितना आलू निर्यात किया गया?	एपीडा(भारत सरकार) के ऑकडों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में आलू एवं उसके प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात निम्नवत् रहा:-

HS CODE	उत्पाद	निर्यातित मात्रा(मै0टन)	मूल्य (रू0 करोड में)
07019000	Potatoes other than seed, Fresh/Chilled	139565.58	146.54
07101000	Potatoes Uncooked	470.00	4.47
07129060	Potatoes Dried	1169.35	6.12
20041000	Potatoes Prepared/Preserved otherwise than by Vinegar	421.82	4.69
20052000	Potatoes Prepared/Preserved otherwise than by Vinegar	120.99	3.18

(ग) क्या निर्यात हेतु विशेष नीति बनाकर आलू निर्यात को बढावा देने पर विचार करेंगे?

प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-3/2019/346/अस्सी-2-2019-100(9)/2019 दिनांक 13 सितम्बर, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 प्रख्यापित की गयी है। नीति के बिन्दु सं0-4.11 के अनुसार "जिले या जिलों के समूह में क्षेत्रों के क्लस्टर बनाते हुये क्लस्टर पद्धति के माध्यम से राज्य से कृषि निर्यात को बढावा दिया जायेगा" के क्रम में कृषि उत्पादों की चिन्हांकित जनपदवार क्लस्टर सूची(अनुलग्नक-1) नीति में वर्णित है। उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति 2019 (प्रथम संशोधन) 2021 दिनांक 27.10.2021 तथा नीति का द्वितीय संशोधन दिनांक 10.11.2022 द्वारा जारी किया गया है। नीति के अनुलग्नक-1 में आलू हेतु प्रदेश के 16 जनपद यथा आगरा,फर्रूखाबाद, कानपुर नगर , कन्नौज,बदायूँ, सम्भल, फिरोजाबाद,हाथरस,अलीगढ, इटावा, मैनपुरी,प्रयागराज, शाहजहॉपुर, बाराबंकी, हरदोई व मथुरा चयनित है। उत्पाद के निर्यात को बढावा देने हेतु उ0प्र0 कृषि निर्यात नीति द्वारा निम्न 04 मुख्य अनुदान प्राविधानित है।

1. चयनित जनपदों में संबंधित कृषि उत्पाद के निर्यातोन्मुख क्लस्टर को अतिरिक्त प्रोत्साहन।
2. क्लस्टर के निकट स्थापित की जाने वाली नवीन प्रसंस्करण इकाईयों के लिये निर्यात आधारित प्रोत्साहन।
3. प्रदेश से कृषि उत्पादों व प्रसंस्कृत वस्तुओं के निर्यात हेतु परिवहन अनुदान।
4. कृषि निर्यात में प्रयुक्त कृषि उपज पर मण्डी शुल्क/प्रयोक्ता प्रभार एवं विकास सेस से छूट।

(घ) यदि हां, तो कब तक?

उपरोक्तानुसार।

(ड.) यदि नहीं, तो क्यों?

उपरोक्तानुसार।

दिनेश प्रताप सिंह
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
कृषि विपणन एवं कृषि
विदेश व्यापार विभाग